निगरानी 3415/2018 धार/भू.रा.

(69)

## न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

1— सजनसिह पिता पुणमसिह राजपूत

2— हुकुमबाई पति सजनसिह जाति राजपूत

3— अर्जुन पितासजनसिह जाति राजपूत

सभी निवासीगण ग्राम रायण तह. व जिला धार

........ निगरानीकर्ता

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 5-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1— राजाराम पिता बाबुलाल जाति बागरी

2— विष्णुबाई पति राजाराम जाति बागरी

दोनो का धन्धा खेती, निवासीयान ग्राम

रायण तह. व जिला धार ..... निगरानीकर्ता

5-6-18

### निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. सं. के तहत

माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार धार वृत्त–4(सागोर) के द्वारा प्रकरण क्रं. 04/अ–13/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 24.01.2018 से असंतुष्ट व दुखी होकर यह निगरानी माननीय के न्यायालय मे प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी 3415/2018/धार/भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 19-11-2018 | आवेदकगण की ओर से श्री टी.टी. गुप्ता, अभिभाषक एवं अनावेदकगण की ओर से श्री मोहन शर्मा, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 20-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।<br>अध्यक्ष | |